assistance from UNIDO has been set up for Bharat Aluminium Co. Ltd., and

(b) if so, where and with whose collaboration it is going to be established?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF STEEL AND MINES (SHRI N. K. P. SALVE): (a) and (b). UNIDO had agreed to help in preparation of a feasibility report for setting up of a Research, Development and Design Centre for Aluminium in India under United Nations Development Programme and the preparatory assistance document was signed between the Government of India and UNDP in June, 1981. Following this, preparation of the feasibility report is in progress. The Centre will be set up at the national level and not for Bharat Aluminium Company Limited. The question of with whose collaboration the Centre will be established will be decided only after the feasibility report is received by the Government.

Committee on Jail Reforms

542. DR. VASANT KUMAR PANDIT: Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether the Mulla Committee on Jail Reforms has submitted its Report and Findings to Government;

(b) if so, when; and

(c) the main recommendations made in that report and decision taken by Government thereon?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI NIHAR RANJAN LASKAR): (a) to (c). No, Sir. The Committee on Jail Reforms has only submitted a report dealing with specific problems of Central Jail, Tihar in December, 1980 and the recommendations contained therein are being processed by Delhi Administration. The Committee is expected to submit its final report by March 31, 1983.

3219 LS—5.

नए तथा पुराने 20-सूत्री कार्यक्रमों में अन्तर

543. श्री सत्यनारायण जटिया : क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नए और पुराने 20—सूत्री कार्यक्रमों में क्या मूलभूत अन्तर है और उनका तुलनात्मक ब्यौरा क्या है;

(ख) 20—सूत्री कार्यक्रम की क्या उपलब्धियां रही हैं; और

(ग) नए 20—सूत्री कार्यक्रम को प्रभावी बनाने के लिए क्या कदम उठाये गए हैं और उसकी क्या उपलब्धियां रही हैं ?

योजना मंत्री (श्री एस. बी. चह्वाण): (क) नए और पुराने 20—सूत्री कार्यक्रमों में कोई मूल अन्तर नहीं है। पुराने कार्यक्रम के कुछ सूत्रों के कार्यान्वित होने पर वे नए कार्यक्रम में नहीं लिए गए हैं। नए कार्यक्रम का सामान्यतौर पर परिशोधित 20—सूत्री कार्यक्रम के रूप में उल्लेख किया जाता है। दोनों की कार्यक्रमों में अधिक सामाजिक न्यायसहित त्वरित विकास के कार्य की ओर हमारा ध्यान केन्द्रित किया गया है। पुराने और नए 20—सूत्री कार्यक्रम की एक-एक प्रति सभापटल पर रख दी गई है। [ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल टी 5810/83।]

(ख) पुराने 20—सूत्री कार्यक्रम के बारे में नवीनतम स्थिति जिसकी घोषणा 1 जुलाई, 1975 को की गई थी सभा पटल पर रख दी गई है। [ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल टी 5810/83]।